चित्तौड़गढ़ (राज.)

15/10/24 पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थी अनु-1 अभि. विपक्षी उप-1 व अभावक लगाई गई अभिवक्ता विपक्षी अथवा स्वयं विपक्षी उप. नहीं हुए। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अनुसहायक कक्ष पैरवी मे खारीज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद 231/18 के साथ सलग्न हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)